

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 391/2024

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज०
-वादी

बनाम

1. राजीव कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू
2. विजयपाल पुत्र कृष्णलाल तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज०
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कोर्ट रोड वार्ड नं० 6 संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया -प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री प्रवीण बैरुड - वकील वादी

2. श्री इन्द्रपाल बैनिवाल - वकील प्रति 2

निर्णय

दिनांक :- 23⁰⁸ 24

श्री रामसिंह ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 18-07-2024 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी के नाम साक्षा खाता में चक न 15 ए.एम.पी खाता स 121/72 ज.स 2072-2075 खाता राजीव कुमार वगैरा में नहरी कृषि भूमि दर्ज साक्ष्य रिकार्ड हैं वादी व प्रतिवादीगण सयुक्त खाता के काश्तकार है उक्त खाता की जमावगी सलग्न वाद पत्र है कि वादी के नाम चक न 15 ए.एम.पी खाता स 121/72 ज.स 2072-2075 में अक्षी मंदी अनुसार धरु विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक धरु विभाजन वादी अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार है मुताबिक धरु विभाजन वादी को निम्न भूमि आई है

चक न 15 ए.एम.पी खाता 121/72

प.न	मु.न	कि.न
135/162	35	12,13/0.253 है प्र
134/162	34	4/1/0.228 है, 4/2/0.025 है
		5/1/0.202 है 5/2/0.025 है, 5/3/0.026 है
		6/1/0.228 है, 6/2/0.025 है, 7/0.253 है
134/163	49	19 ता 22/0.253 है प्र

कुल-2.530 है मय गै.मु.

कि वादी ने प्रतिवादीगण से कर्डे गार निवेद किया की वादी को वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार खाता अलग से कायम करवा ले तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु वाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है कि प्रतिवादी स 3 के पक्ष में राजस्व रहन होने के कारण व प्रतिवादी स 3 को लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया

गया है किन्तु इनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है कि वादपत्र बाबत तकसीम खाता का है जो 2 रु के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायलय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार का है अत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजीस्टर्ड डाक तलब किया गया। प्रतिवादी स 3 द्वारा हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित जवाब नही पेश करना चाहते प्रतिवादी स 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी स 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया ने जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी जवाब उल जवाब पेश नही करना चाहते इसलिए जवाब उल जवाब बंदी किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जं.बं. चक्र न 15 ए.एम.पी ज.स 2072-2075 खाता स 121/72 कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा वकील वादी के कथनो कोई ऐतराज नही किया गया। बहस में वादी के वादपत्र व प्रतिवादी स 2 का काउन्टर क्लेम डिकी किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए बहस में वकील प्रतिवादी स 2 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 2 का का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। इसलिए वादी का वादपत्र व प्रतिवादी स 2 काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्रद व प्रतिवादी स 2 जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम निर्णय दिया जाता हैं कि वादी का खाता वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है व प्रतिवादी स 2 का खाता काउन्टर क्लेम की चरण स 7 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जाती है।

(क) वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है
वादी रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू के हिस्सा की भूमि
चक न 15 ए.एम.पी खाता 121/72

प.न	मु.न	कि.न
135/162	35	12.13/0.253है प्र
134/162	34	4/1/0.228है,4/2/0.025है 5/1/0.202है 5/2/0.025है,5/3/0.026है 6/1/0.228है,6/2/0.025है,7/0.253है
134/163	49	19ता22/0.253है प्र

कुल-2.530है मय गे.मु.

(ख) काउन्टर क्लेम की चरण स 7 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

प्रतिवादी स 2 विजयपाल पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खाट के
हिस्सा की भूमि


चक न 15 ए.एम.पी खाता स 121/72

प.न	मु.न	कि.न
134/164	50	11/0.253है

कुल-0.253है

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फौसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल
दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल
न्यायालय में सुनाया गया।


(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहित

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 391/2024

वाद पत्र अंधारा :- 53 आरटीए

रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ राज0. -वादी

बनाम

1. राजीव कुमार पुत्र रामसिंह } जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू
2. विजयपाल पुत्र कृष्णलाल } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा कोर्ट रोड वार्ड न 6 संगरिया
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 23.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रवीण बैरड वकील वादी मिन जामिन
मुदई व श्री इन्द्रपाल बैनिवाल वकील प्रतिवादी स 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी का खाता वाद पत्र की चरण स
3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है व प्रतिवादी
स 2 का खाता काउन्टर क्लेम की चरण स 7 के अनुसार अलग कायम किया जाकर
रकमराज अलग कायम की जाती है।

(क) वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

वादी रामसिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू के हिस्सा की भूमि
चक न 15 ए.एम.पी खाता 121/72

प.न	मु.न	कि.न
135/162	35	12,13/0.253है प्र
134/162	34	4/1/0.228है,4/2/0.025है 5/1/0.202है 5/2/0.025है,5/3/0.026है 6/1/0.228है,6/2/0.025है,7/0.253है
134/163	49	19ता22/0.253है प्र कुल-2.530है मय गो.मु.

(ख) काउन्टर क्लेम की चरण स 7 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है

प्रतिवादी स 2 विजयपाल पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू खात के
हिस्सा की भूमि

चक न 15 ए.एम.पी खाता स 121/72

प.न	मु.न	कि.न
134/164	50	11/0.253है कुल-0.253है

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे


नोट- बैंक ऋण यथावत रखा जावें।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदम

के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक अदा करें।

परे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.08.2024 जारी किया गया।





(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया